



2026:AHC:4108

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19711 वर्ष 2025

नवनीत कुमार

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: अखिलेश कुमार, आशीष श्रीवास्तव,

राम कांत यादव, संत राम निगम

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, महेंद्र नारायण सिंह

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष श्रीवास्तव, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 7 के विद्वान अधिवक्ता श्री एस. के. ओम के तर्कों को सुना गया।
2. आज न्यायालय में दाखिल किए गए निर्देश परिशिष्ट-ए के रूप में अभिलेख में दर्ज किए जाते हैं।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक अनुरोध पर, उन्हें परीक्षा नियंत्रक को पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है।
4. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह दिव्यांग है। हालांकि, जब उसकी परीक्षा हो रही थी, तो उसने प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे अनुरोध करने के बावजूद उसे नहीं दिया गया।
5. प्रतिवादी संख्या 7 के विद्वान अधिवक्ता श्री एस. के. ओम ने तर्क प्रस्तुत किया कि ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रवेश पत्र के खंड संख्या 6 और 11 के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुसार, याचिकाकर्ता को परीक्षा प्रारंभ होने से पहले सूचित करना चाहिए था। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस दावे पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा विचार किया जाएगा।

6. विपक्षी पक्षों के निवेदन पर विचार करते हुए, साथ उनके द्वारा लिए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का **निस्तारण** इस प्रकार किया जा रहा है कि रिट याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 7 - परीक्षा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग, प्रयागराज के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक व्यापक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाए, जो इसे प्राप्त होने पर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा।

7 जनवरी, 2026

आर.एस. तिवारी

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)